न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–129/2022 (GCMS No. 2022/134) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. कमला पुत्री भोगीराम पत्नी दशरथ जाति ठाकुर निवासी लालौनी हाल निवासी बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज.

................अपीलांट

बनाम

1. बंगालीबाबू पुत्र दीनानाथ जाति ब्राहम्ण
2. श्यामवीर पुत्र पोहपसिंह
3. प्रदीप पुत्र पोहपसिंह
4. प्रमोद पुत्र पोहपसिंह
5. शारदादेवी पत्नी पोहपसिंह
6. सालू पत्नी घनश्याम
7. हैमन्त पुत्र घनश्याम नावालिग व सरपरस्ती माता सालू
8. निक्की पुत्री घनश्याम नावालिग व सरपरस्ती माता सालू
9. शिवानी पुत्री घनश्याम नावालिग व सरपरस्ती माता सालू

   समस्त जाति ठाकुर निवासी लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर राज.।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

.... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2007 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर अपील संख्या 152/2003 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम बंगाली बाबू।

उपस्थिति:–

1. अपीलाट की ओर से श्री रामअवतार गौड, वकील

निर्णय

दिनांक : 07.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 24.07.2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख.नं. 592 रकवा 7 बीघा वाके ग्राम अरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

लगा. 9 के पूर्व पुरूष भोगीराम पुत्र निहालसिंह जाति ठाकुर के हक में दिनांक 10.09.1975 को विधिवत आवंटन किया गया था जिसपर आवंटी अपने जीवन पर्यन्त बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहा। अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान सरकार द्वारा अपीलांट के पूर्व पुरूष के हक में हुये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 5 राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.1989 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के पूर्व पुरूष के हक में हुये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो. सं. 1 बंगालीबाबू द्वारा अपील एस.ओ एण्ड आर.ए.ए भरतपुर कैम्प धौलपुर में प्रस्तुत की जो दिनांक 16.02.1996 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये आवंटन आदेश को यथावत रखने का निर्णय पारित किया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.08.2003 के द्वारा हरदो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया कि वह समस्त पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 9 बावजूद पर्याप्त तामील/सूचना के अनुपस्थित रहे।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर विधिवत सुनवाई का अवसर उभयपक्षों को दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना नहीं की जाकर मनमाना रवैया अपनाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 24.08.2022 को अपने निजी कार्य हेतु राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर हुई। तत्पश्चात उसी दिन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

31.08.2022 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते की अपीलांट रूपये पैसों का इंतजाम कर ज्ञान के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर दी। यद्वपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम लागू नहीं है फिर भी म्याद के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 जिला कलक्टर धौलपुर प्रकरण संख्या 152/03 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पूर्व पुरूष के हक में हुये आवंटन को यथावत रखा जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतक भोगीराम पुत्र निहालसिंह को दिनांक 10.09.1975 को भूमि आवंटित हुई थी। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडी की रिपोर्ट के अनुसार श्री भोगीराम पुत्र श्री निहालसिंह जाति ठाकुर निवासी लालोनीहार (मृतक) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 05.06.1975 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडी में उपस्थिति दी। जबकि आवंटन दिनांक 10.09.1975 को कराया गया है। इस प्रकार वक्त आवंटन भोगीराम सरकारी कर्मचारी था और सरकारी कर्मचारी के तथ्य को छुपाते हुये आवंटन कराया जबकि सरकारी कर्मचारी को कृषि भूमि का आवंटन नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तथ्य छुपाकर आवंटन कराया गया। इस प्रकार आवंटन कपट व तथ्यों को छुपाकर करवाया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार ही रद्द किया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया सरासर गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुये और नोटिस का जबाब भी पेश किया गया तथा अपीलांट की ओर से पैरवी की गई है। अन्य रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कारण अधीनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं समझते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलांटस खारिज की जाकर जिला कलक्टर धौलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2007 यथावत किया जाता है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.12.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर